छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 135/2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा, ... आवेदक
एल.आई.जी. 80,
सेक्टर–2, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . अनावेदक
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(4 जुलाई 2006)

श्री पदमचंद नाहटा निवासी–रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक–3, रायपुर से चाही गई जानकारी समय पर न दिये जाने के कारण शिकायत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री पदमचंद नाहटा के द्वारा दिनांक 16–12–2005 को लोक सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–3 से कुछ जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें कि अपील अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जन सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से छायाप्रतियों का खर्च 1,113/– रूपए जमा करने हेतु दिनांक 2/3/2006 को नोटिस जारी किया। बाद में जन सूचना अधिकारी ने जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई। शिकायतकर्ता ने समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए आयोग में शिकायत की।

आयोग के द्वारा आवेदक एवं लोक सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के तर्को को सुना गया तथा संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक ने जो जानकारी चाही थी, वह ऐसे प्रकरण से संबंधित थी, जो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जांच प्रक्रिया के अंतर्गत थी। अतः जानकारी उपलब्ध कराई जाये अथवा नहीं, इसके लिए उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि डामर खरीदी का प्रकरण मुख्य तकनीकी

परीक्षक, सतर्कता एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जाँच में था। अतः उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए उन्होंने माफी चाही है।

प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–3 के द्वारा जानबूझकर या द्वेषवश जानकारी उपलब्ध कराने में विलम्ब नहीं किया गया है। उनके द्वारा जानकारी देने में हुआ विलम्ब प्रक्रियात्मक त्रुटि के फलस्वरूप तथा सद्भावनापूर्वक है। चूंकि आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसे जानकारी मिल चुकी है। सद्भावनापूर्वक हुए विलम्ब के फलस्वरूप लोक सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–3 ने क्षमायाचना भी की है। चूंकि जानकारी देने में हुआ विलम्ब दुर्भावनावश नहीं है। अतः इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। भविष्य में लोक सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग–3 अधिनियम में प्रावधानों के अंतर्गत समयावधि में कार्यवाही करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा 10,000/– रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाते हैं।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त